भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1987

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

एमएसएमई को सुलभ ऋण सुविधा

1987. श्री सौमेंदु अधिकारी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से प्रतिस्पर्धात्मकता और सुलभ ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कार्यशील पूंजी, विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयोजनों के लिए अधिकतम ऋण वित्तपोषण सुविधाएं, चाहे वे संपार्श्विक और सावधि जमा के साथ हों या उसके बिना हों, क्या हैं;

(ग) एमएसएमई क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान संख्या, वित्तपोषण और रोजगार के संदर्भ में वृद्धि कितनी है और इसमें पुनर्भुगतान की स्थिति क्या है; और

(घ) भारत के संदर्भ में विश्व बैंक के 'व्यापार करने में सुगमता' सूचकांक की रिपोर्ट और इसकी तुलनात्मक समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त तक पहुँच में सुधार, समयबद्ध भुगतान और प्रौद्योगिकी को शीघ्र अपनाने हेतु अनेक पहलें और उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) क्रियान्वित करता है ताकि सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए और मौजूदा एमएसई को दिए गए ऋणों (दिनांक 01.04.2025 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए संशोधित) के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। स्कीम का दायरा बढ़ाने और एमएसई की क्रेडिट तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएस को दिनांक 01.04.2023 से पुनर्गठित किया गया है, इसके पश्चात सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) की निर्धारित दर को प्रतिवर्ष 50% से घटाकर, कम से कम 0.37% कर दिया गया है।

ii. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के उद्देश्य से आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

iii. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ, नए उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। स्कीम में 3 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 8% के ब्याज सब्वेंशन का प्रावधान शामिल है।

v. एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई चैंपियन्स स्कीम का विभिन्न स्कीमों और पहलों को समरूपी, संरेखी और अभिसारित करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण और एकल उद्देश्य के साथ क्रियान्वित करता है। इसका मूलभूत उद्देश्य उद्यमों की पहचान करना और उनकी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा अपव्यय को कम करना और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच तथा उनकी उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है। एमएसएमई चैंपियन्स स्कीम के अंतर्गत घटक में एमएसएमई प्रमाणन स्कीम (जेड) सस्टेनेबल, एमएसएमई- प्रतिस्पर्धी स्कीम (लीन), एमएसएमई-नवोन्मेषी इन्यूबेशन डिजाइन एंड स्कीम आईपीआर शामिल है।

vi. आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से बहुसंख्य फाइनेंसरों के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स को वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली (ट्रेड्स) हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग) : विगत तीन वर्षों में एमएसएमई मंत्रालय की मुख्य स्कीमों के तहत एमएसएमई क्षेत्र में एमएसएमई की संख्या, वित्तपोषण और रोजगार के संबंध में विकास को दर्शाने वाला डाटा निम्नानुसार है:

एसआरआई फंड				
				फंड (करोड़ रुपए में)
वित्त वर्ष	आवंटित/स्वीकृत निधि (आरई)	निर्मुक्त निधि	उपयोगित निधि	अनुमानित रोजगार सृजन
2022-23	392.79	392.79	392.79	35,751
2023-24	579.45	579.45	553.78	51,807
2024-25	575.00	575.00	575.00	25,440

सीजीटीएमएसई- अनुमोदित गारंटियाँ (अखिल भारत)			
वित्त वर्ष	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में	अनुमानित रोजगार सृजन
2022-23	11,65,786	1,04,781	23,72,984
2023-24	17,24,073	2,02,807	48,19,859
2024-25	27,15,275	3,05,507	72,94,989

पीएमईजीपी			
वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336
2023-24	89,118	3,093.87	7,12,944
2024-25	59,708	2,202.00	4,77,664

(घ) : सरकार ने, अन्यों के साथ-साथ एमएसएमई के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करने और व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) एमएसएमई के लिए पंजीकरण में सुगमता की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई। उद्यम पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया ऑन लाइन, पेपररहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। मंत्रालय ने, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लाभ प्राप्त करने में सहायता मिली।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 11.08.2021 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3237 (ड) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के संबंध में व्यापार के साथ-साथ नागरिकों पर अनुपालन भार कम कर दिया है, जिसकी पहचान उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा की गई है।

(iii) डीपीआईआईटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक राष्ट्रीय एकल स्थल प्रणाली विकसित की गई है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मौजूदा निकासी/विनियामक तंत्रों को एकीकृत करता है।

*****